मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1265/आर.1734/चार/ब-1/98 भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर, 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश

विषय :—विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय से पुर्नमिलान करने बाबत्।

उपरोक्त विषय में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1686/चार-ब-1/97 दिनांक 4-8-97 [सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है] द्वारा यह निर्देश प्रसारित किए गए थे कि प्रत्येक वर्ष के जून एवं सितम्बर तक की अवधि के आंकड़ों का मिलान क्रमशः उस वर्ष के 20 सितम्बर एवं 20 दिसम्बर तक कर लिया जावे तथा यदि व्यय का मिलान कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो नियंत्रक अधिकारी के आकस्मिक व्यय के बिलों का आहरण बंद कर दिया जावेगा। ये आदेश स्थाई तौर से प्रतिवर्ष के लिए लागू रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
[आर.एन.पचौरी]
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक 17 सितम्बर, 1998

पृ.क्र.1266/चार-ब-1/98

प्रतिलिपि :—

इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1686/चार/ब-1/दिनांक 4-8-97 की प्रति संलग्न करते हुये समस्त कोषालय अधिकारी म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर एवं दिसम्बर तक क्रमशः जून एवं सितम्बर तक की अवधि से संबंधित लेखों का मिलान नहीं किया गया हो तो उनके आकस्मिक व्यय से संबंधित देयकों का आहरण रोक दिया जावे और यह आदेश स्थाई तौर से प्रतिवर्ष के लिए लागू रहेंगे।

2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र., भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त उन संयुक्त संचालकों [कोष एवं लेखा] जो साख पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत है को आवश्यक निर्देश जारी किये जावें कि उनके अधीनस्थ निर्माण विभागों द्वारा लेखों का मिलान उपरोक्त अवधि तक न करने पर उनके आकस्मिक व्यय से संबंधित राशि के लिए साख पत्र जारी न किया जाय।

3. महालेखाकार [लेखा एवं हकदारी] प्रथम एवं द्वितीय म.प्र. ग्वालियर॥

4. उप सचिव वित्त [समन्वय] विभाग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

हस्ता/-

[आर.एन.पचौरी]
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त, 1997

क्रमांक 1686/चार/ब-1/97

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश

विषय :—विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय से पुनर्मिलान करने बाबत्।

विभागीय व्यय का महालेखाकार से मिलान कार्य समय पर करने हेतु कई बार नियंत्रक अधिकारियों को लिखा गया है परन्तु महालेखाकार ने सूचित किया है कि नियंत्रक अधिकारी मिलान का कार्य नहीं कराते हैं।

2. इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1108/953/चार/ब-1/97 दिनांक 15-4-97 के साथ महालेखाकार से प्राप्त अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक टी.एम./07/3769 दिनांक 25-3-97 की प्रति भेजकर निवेदन किया गया था कि महालेखाकार के पत्र में सुझाई गई प्रक्रिया के संबंध में सुझाव व प्रतिक्रिया इस विभाग को तत्काल अवगत करावें। परन्तु विभागों से सुझाव प्राप्त नहीं हुये।

3. अत: राज्य सरकार ने मिलान कार्य के महत्व को देखते हुये महालेखाकार द्वारा सुझाई गई प्रणाली के आधार पर निर्णय लिया है कि वर्ष के माह जून एवं माह सितम्बर तक किये गये व्यय का मिलान क्रमश: दिनांक 20 सितम्बर एवं 20 दिसम्बर तक कर लिया जाये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो नियंत्रक अधिकारी के आकस्मिक व्ययों के बिलों का आहरण बंद कर दिया जायेगा।

4. अत: आपके अधीनस्थ समस्त नियंत्रक अधिकारियों को तत्काल सूचित करें कि जून, 97 एवं सितम्बर, 97 तक की अवधि के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार कार्यालय में दिनांक 20 सितम्बर 1997 एवं 20 दिसम्बर 1997 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। यही प्रक्रिया आगामी वर्षों में अपनाई जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(स्नेहलता श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक 4 अगस्त, 1997

पृक्र.1687/चार/ब-1/97

प्रतिलिपि :—

1. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिनांक 20-9-97 एवं 20-12-97 तक क्रमश: जून 97 एवं सितम्बर 97 तक की अवधि से संबंधित लेखों का मिलान नहीं किया गया हो तो उनके आकस्मिक व्यय से संबंधित देयकों का आहरण रोक दिया जावे।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त उन संयुक्त संचालकों (कोष एवं लेखा), जो साख पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत है, को आवश्यक निर्देश जारी किये जावे कि उनके अधीनस्थ निर्माण विभागों द्वारा लेखों का मिलान उपरोक्त अवधि तक न करने पर उनके आकस्मिक व्यय से संबंधित राशि के साख पत्र जारी न किया जाय।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर उनके अ.शा.पत्र क्रमांक टी.एम.07/3769/दिनांक 25-3-97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-
(आर. एन.पचौरी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग